

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/ 223

दिनांक : 09/04/18

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/लै.टे./सीधी भर्ती/2015/649 दिनांक 09.10.15 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत लेब टैक्नीशियन के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित लेब टैक्नीशियन जिन्होंने दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाई किया जाता है। इन्हे परीक्षा अवधि पूर्ण करने की तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(रूल्स)/ 2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में पद की पै मैट्रिक्स एल 8 में न्यूनतम वेतन रूपये 26300 एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे :-

क्र.सं.	पदस्थापन सूची क्रमांक 649 दिनांक 09.10.15 के क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षाधीन अवधि (दो वर्ष) पूर्ण होने की तिथि	स्थाईकरण दिनांक
1.	46	श्री गंगाराम	प्रा0स्वा0केन्द्र पारसोला(प्रतापगढ़)	21.09.94	15.10.15	14.10.17	15.10.17
2.	50	श्रीमती प्रियंका शर्मा	सामु0स्वा0 केन्द्र वैर (भरतपुर)	18.11.90	03.12.15	02.12.17	03.12.17
3.	35	कुसुम कवार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर	02.07.90	15.12.15	14.12.17	15.12.17
4.	76	जया कुसुमाकर	सामु0स्वा0 केन्द्र डीग (भरतपुर)	11.07.86	03.12.15	02.12.17	03.12.17
5.	115	श्री महेन्द्र कुमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही	03.07.78	16.10.15	15.10.17	16.10.17
6.	111	श्री हंसराज	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही	12.12.87	14.10.15	13.10.17	14.10.17
7.	22	नेहा कुमारी	सामु0स्वा केन्द्र श्रीनगर(अजमेर)	17.01.90	15.10.15	14.10.17	15.10.17
8.	56	अर्चना कुमारी	प्रा0स्वा0केन्द्र नरवर(अजमेर)	05.04.92	15.10.15	14.10.17	15.10.17

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

दिनांक : 09/04/18

क्रमांक :- ई-33/लै.टे./1440 /2018/ 223

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
2. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
3. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामु0स्वा0केन्द्र/प्रा0स्वा0केन्द्र प्रभारी अधिकारी।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज. जयपुर